

९. ग्राम पंचायत टोरडा तह० सिकराय हाल तह० बहरावण्डा जिला दौसा जरिये सरपंच।

रेसपोडेण्टस

अपील विरुद्ध योग्य अधिनरथ न्यायालय ग्राम पंचायत टोरडा तह० सिकराय पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा निर्णय दिनांक ०७.०८.२०२४ बाबत नामान्तकरण संख्या ३८२ दिनांक ०७.०८.२०२४ वाके ग्राम टोरडा तह० सिकराय पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा।

अपीलाण्टस की ओर से श्री राकेश जैमन एड०

रेसपोडेण्टस की ओर से श्री दिनेश चन्द्र शर्मा एड०

निर्णय

निर्णय दिनांक

28/07/25

पत्रावली वारंते निर्णय हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के समक्ष अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या ९७१ ग्रा०प० टोरडा पेश की गई जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलाधीन नामान्तकरण से संबंधित विवादित भूमि ग्राम टोरडा तह० सिकराय वर्तमान तह० बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसके साविक खसरा नम्बर १५१२ रकबा ११ बीघा १० बिस्वा साविक खसरा नम्बर २००४ रकबा १ बीघा ११ बिस्वा कुल कित्ता दो कुल रकबा १३ बीघा ४ बिस्वा साविक खसरा नम्बर १७६६ रकबा ७ बिस्वा साविक खसरा नम्बर २०३२ रकबा १२ बिस्वा साविक खसरा नम्बर २०३८ रकबा १२ बिस्वा कुल कित्ता तीन कुल रकबा १ बीघा ११ बिस्वा साविक खसरा नम्बर २०३३, १९९५, ६३९ आदि है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर २६५९, २६६०, २९६८, ३२५१, ३२८०, ३२८१, ३२८२, ३२४१, ३२८३, ३२८८ आदि है। यह है कि अपीलाधीन नामान्तकरण से संबंधित विवादित भूमि के मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल जाति ब्राह्मण निवासी टोरडा तह० सिकराय रहे है जो कि उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज कार्तकार रहे है। उक्त विवादित भूमि के मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल अपीलाण्टस के पिता है। यह है कि मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की पत्नि तीजो का स्वर्गवास हो गया है मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल का भी स्वर्गवास हो चुका है। मूल खातेदार कल्याण के ७ वारिस ३ पुत्र तथा ४ पुत्री है जो कि चेतन कुमार, नाथूलाल, बाबूलाल, शान्ति, कमला, सरोज, विमला है। मूल खातेदार कल्याण पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की फौतगी के बाद योग्य अधिनरथ न्यायालय ग्राम पंचायत टोरडा ने कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलाण्टस को बिना सुने बिना नोटिस दिये बिना पक्षकार बनाये सम्पूर्ण वारिसान की जांच किए बिना व बिना सहमति के व इकतरफा में कानून को ताक में रखते हुए संवैधानिक तरीके से केवल नाथूलाल बाबूलाल चेतन कुमार तीजो के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
जिला दौसा

नामान्तकरण खोल दिया और अपीलान्टस के पक्ष में तथा रेस्पोजेण्टस संख्या 7 एवं 8 के पक्ष में नामान्तकरण नहीं खोला जबकि कानूनन अपीलान्टस शान्ति देवी, कमला, एवं रेस्पोजेण्टस सरोज, विमला के नाम भी विरासत का नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था अपीलाधीन नामान्तकरण बिना क्षेत्राधिकार के किया है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। तत्पश्चात विवादित भूमि का नामान्तकरण बयनामे के आधार पर रूकमणी के हक में खोला दिया गया तथा उसके बाद रूकमणी द्वारा उक्त भूमि का रेस्पोजेण्ट संख्या 1, 2 कमोददेवी पत्नि पुखराज गुर्जर, कमलेश देवी पत्नि विश्राम गुर्जर के हक में अवैधानिक रूप से कराया गया बयनामा व अवैधानिक रूप से रेस्पोजेण्ट संख्या 1, 2 के हक में खोल गया नामान्तकरण संख्या 382 ग्राम टोरडा तह० बहरावण्डा जिला दौसा अपीलान्टस के खिलाफ प्रारम्भ से ही कलेअदम बेअसर, प्रभावहीन व कानूनन शून्य है एवं नल एण्ड वोइड है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। मूल खातेदार स्व० कल्याणसहाय पुत्र मुथुरालाल उर्फ मुथुरालाल की विरासत का मूल नामान्तकरण संख्या 668 ग्राम टोरडा पर पटवारी हल्का ने जो सजरा गलत रूप से कल्याणसहाय के तीनों पुत्रों नाथूलाल, बाबूलाल, चेतन कुमार व बेवा तीजो के नाम बनाया है यह सजरा गलत है। पटवारी हल्का ने इस सजरा खानदान में पुत्रियों का नाम अंकित नहीं किया है। इसलिए जब मूल नामान्तकरण संख्या 668 ही नल एण्ड वोइड है ऐसी स्थिति में इसके बाद उक्त भूमि के रूकमणी के हक में खोला गया नामान्तकरण व उक्त भूमि का रेस्पोजेण्ट संख्या 1, 2 के हक में खोला गया अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 382 स्वतः ही निरस्तनीय है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है।

इत्यादि पर अपीलान्टस की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्टस की तलबी विधिवत जारी की गई। रेस्पोजेण्टस संख्या 1, 2, 3, 7, 8 की ओर से श्री दिनेश चन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। शेष बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलान्टस अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलान्टस की पिता की खातेदारी भूमि रही है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकारी नियमानुसार अपीलान्टस का हक हिस्सा है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर दिए, बिना नोटिस दिए एकपक्षीय नामान्तकरण संख्या 668 दर्ज किया तथा उसके बाद बयनामे के आधार पर रूकमणी के हक में नामान्तकरण संख्या दर्ज कर दिया तथा उसके बाद अपील विचाराधीन रहने के दौराने पुनः बयनामे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 382 दर्ज किया जो कि निरस्तनीय है। रेस्पोजेण्टस की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपीलान्टस की अपील तथा बहस में किए गए कथनों का पुरजोर विरोध किया तथा

निवेदन किया कि अपीलाण्टस द्वारा झूठे तथा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है अपीलाण्टस का विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है रेस्पोंडेंट के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। इसलिए अपील विरुद्ध नामान्तकरण खारिज की जावे एवं विचाराधीन नामान्तकरण को यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया, पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्टस द्वारा ग्राम टोरडा द्वारा नामान्तकरण संख्या 382 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 से आहत होकर यह अपील पेश की गई है।

ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा दर्ज नामान्तकरण संख्या 382 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण रूकमणी द्वारा बेचान किए जाने से रेस्पोंडेंट के पक्ष में दर्ज किया गया है। इससे पूर्व विवादित भूमि के संबंध में ही ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा मूल विरासत नामान्तकरण संख्या 668 विरासतन नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसमें सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया है। अपीलाण्टस द्वारा मूल नामान्तकरण संख्या 668 के विरुद्ध भी नामान्तकरण अपील पृथक से न्यायालय हाजा में पेश की गई है जिसमें पृथक से निर्णय पारित किया गया है तथा मूल नामान्तकरण खारिज कर तहसीलदार को पुनः सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। रेस्पोंडेंटस द्वारा भी पत्रावली पर उपलब्ध सजरे खानदान के संबंध में कोई आपत्ति पेश नहीं की है जिससे यह स्पष्ट है कि सजरा खानदान भी सही है एवं अपीलाण्टस कल्याण सहाय की विधिक वारिस है लेकिन ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा मूल विरासतन नामान्तकरण संख्या 668 दर्ज करते समय कल्याणसहाय के वारिसान में से अपीलाण्टस तथा सरोज, विमला के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी पुत्रियों को अपने पिता की भूमि एवं सम्पत्ति में कानूनन हक एवं अधिकार प्राप्त है। इसलिए उक्त नामान्तकरण में सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं है। तथा कानूनन पिता की सम्पत्तियों पर पुत्रियों का भी समान हक एवं अधिकार है फिर भी ग्राम पंचायत ने अपीलाण्टस के नाम नामान्तकरण नहीं करके कानून गलती की है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। उक्त मूल विरासतन नामान्तकरण के बाद नाथूलाल, बाबूलाल, चेतन कुमार पिसरान कल्याण सहाय व तीजो बेवा कल्याण सहाय ने भूमि का बेचान रूकमणी को कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 971 भरा गया तथा रूकमणी द्वारा किए गए बेचान के आधार पर विचाराधीन नामान्तकरण संख्या 382 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 दर्ज किया गया है। पत्रावली एवं उभयपक्ष अधिवक्ता के अभिवचनों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि

शांति बनाम कमोद देवी वगै० मु०न० ०४/२०२४

न्यायालय हाजा में में ही विवादित भूमि के मूल विरासत नामान्तकरण संख्या 668 पेश की है जिसे न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किया गया है ऐसी स्थिति में जब मूल नामान्तकरण निरस्त किया जा चुका है तथा मूल नामान्तकरण की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन रहने के दौरान ही यह नामान्तकरण दर्ज किया गया है इसलिए चूंकि मूल नामान्तकरण खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में मूल नामान्तकरण के पश्चात दर्ज की गई सभी प्रविष्टिया भी स्वतः ही निरस्त योग्य है तथा मूल नामान्तकरण के पुनः निर्णय पश्चात पुनः दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः विवादित भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 382 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार बहरावण्डा को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में मूल विरासतन नामान्तकरण संख्या 668, नामान्तकरण संख्या 971 तथा नामान्तकरण संख्या 382 पर पुनः विधिवत सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित कर नामान्तकरण दर्ज करें। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(डॉ० नवनीत कुमार R.A.S.)

हस्ताक्षर एवं मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौला